न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 28 / 2015 प्रार्थना पत्र   दायर दिनांक 09.10.2015

उनवान

1. मेघा पिता सेवा जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
2. छोगा पिता सेवा जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
3. नारायण पिता हजारी जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
4. भंवरी बाई पत्नी भैरूलाल जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
5. धन्ना पिता लछमन जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
6. जमनी बेवा लक्ष्मन जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
7. भैरूलाल पिता नोला जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
8. कालु पिता हजारी जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
9. मु. कन्नी बेवा हजारी जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
10. रतनलाल पिता भगवानलाल जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
11. काली बाई उर्फ कमला बाई बेवा भगवानलाल जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
12. काना पिता जालम जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
13. शंकर पिता जालम जी माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
14. सेहनी पुत्री जालम जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
15. हजारी पिता धन्ना जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
16. किशन पिता धन्ना जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।
17. झुम्मा देवी पत्नी अम्बालाल जी जाति माली, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।

——प्रार्थीगण

Web Copy Not Official

बनाम

मांगीलाल मृतक के बजाय

1/1 दिनेशचन्द्र पिता मांगीलाल जी जाति दर्जी, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

1/2 मंजूबाई पुत्री मांगीलाल जी जाति दर्जी, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

1/3 गुड्डी बाई पुत्री मांगीलाल जी जाति दर्जी, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

1/4 सुनिता पुत्री मांगीलाल जी जाति दर्जी, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

1/5 सुशिला पुत्री मांगीलाल जी जाति दर्जी, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

1/6 गीता बाई बेवा मांगीलाल जी जाति दर्जी, आयु बालिग, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

2. श्रीमान् भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ़(राज.)

——अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)</u>

निर्णय दिनांकः 17.02.2020

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अप्तर्गत धारा 251 'क' इस आशय से प्रस्तुत किया की प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा ग्राम चक भोपालसागर खेडा पटवार हल्का रावतीया तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में प्रार्थीगण की संयुक्त सामलाती, खातेदारी आराजीयात स्थित है, जिसके खाता संख्या 62 आराजी नम्बर 558 रकबा 0.41 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 561 रकबा 0.06 हैक्टयर, आराजी नम्बर 565 रकबा 0.18 हैक्टयर, आराजी नम्बर 567 रकबा 0.08 हैक्टयर, आराजी नम्बर 575 रकबा 0.06 हैक्टयर, आराजी नम्बर 586 रकबा 0.07 हैक्टयर, आराजी नम्बर 587 रकबा 0.07 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 0.93 हैक्टयर स्थित है एवं खाता संख्या 42 के आराजी नम्बर 562 रकबा 0.41 हैक्टयर, आराजी नम्बर 566 रकबा 0.20 हैक्टयर, आराजी नम्बर 568 रकबा 0.06 हैक्टयर, आराजी नम्बर 574 रकबा 0.05 हैक्टयर, आराजी नम्बर 588 रकबा 0.20 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.92 हैक्टयर स्थित है तथा खाता संख्या 43 के आराजी नम्बर 560 रकबा 0.07 आचा व खाता संख्या 45 के आराजी नम्बर 585 रकबा 0.09 हैक्टयर एवं खाता संख्या 101 के आराजी नम्बर 550 रकबा 0.17 हैक्टयर, आराजी नम्बर 554 रकबा 0.01 आचा, आराजी नम्बर 555 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 564 रकबा 0.22 हैक्टयर तथा खाता संख्या 13 के आराजी नम्बर 569 रकबा 0.07 हैक्टयर व खाता संख्या 30 के आराजी नम्बर 551 रकबा 0.16 हैक्टयर, आराजी नम्बर 552 रकबा 0.16 हैक्टयर, आराजी नम्बर 553 रकबा 0.22 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 हैक्टयर स्थित है। आराजी नम्बर 560 रकबा 0.07 आचा जो हम प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी होकर उक्त कुए से हम प्रार्थीगण

अपनी–अपनी आराजीयात को सिंचीत करते है। हम प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में जाने के लिए ग्राम भूपालसागर से निकल कर आम रास्ते से होते हुए दक्षिण से उत्तर दिशा के रास्ते जिसके आराजी नम्बर 26 कायम रास्ता होकर हम प्रार्थीगण आराजी संख्या 25 की उत्तर दिशा की मेड़ जो अप्रार्थी की आराजीयात है उसमें से होकर हम सभी प्रार्थीगण अपने सामलाती कुए पर जाते है। उक्त रास्ते का उपयोग विगत 120 वर्षों से हम प्रार्थीगण और हमारे बाप–दादाओं के समय से चला आ रहा है। उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। रास्ते से खाली–भरी बैलगाडी, ट्रैक्टर मय ट्रोली लाने–ले जाने में, मवेशी लाने–ले जाने में इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। हाल नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण के रास्ते के डोट–डोट के निशानात कायम है। वजह सबुत हाल जमाबन्दी की नकल एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल जिसकी आराजी संख्या 25 के उत्तरी मेड़ पर हाल नक्शे में रास्ते के निशानात डोट–डोट लाईन से कायम है जिस रास्ते में हम प्रार्थीगण आते–जाते है उपयोग–उपभोग कर रहे है। उक्त रास्ते को अप्रार्थी ने अवरोध पैदा कर दिया, रास्ते को हंकाई कर कंटीली छडीयां डाल रास्ते को बन्द कर दिया। रास्ते के निशानात कायम होने के बावजूद भी अप्रार्थी जबरन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से गुजरने, मवेशी लाने ले जाने में रूकावट पैदा कर रहा है। अप्रार्थी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। मौसम काश्त का है, आराजीयात पर जाने का एक मात्र यहीं रास्ता है, जिसे खुलवाये जाना आवश्यक है, हाल नक्शा ट्रेस में डोट लाईन से रास्ता दर्शाया गया है, लेकिन रेवेन्यू रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है इसलिए रेवेन्यू रेकार्ड में रास्ता बाबत् कायम किया जाकर रास्ते के अलग से नम्बर कायम किया जाना आवश्यक है ताकि अप्रार्थी प्रार्थीगण के आने–जाने मे अवरोध पैदा नहीं करें।

यह कि दिनांक 11.06.2015 को अप्रार्थी ने उक्त रास्ते को हंकाई कर कंटीली छडीयां डाल रास्ता अवरोध कर देने से बिनाय प्रार्थना पत्र उक्त दिनांक को पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात एवं सामलाती कुए पर जाने के लिए हम प्रार्थीगण को अप्रार्थी किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे, बाधा पैदा नही करें, रास्ते में हंकाई कर खड्डे नहीं करें, रास्ते मे छडीयां डाल रास्ते को बाधित नहीं करे एवं हाल नक्शें में मौजूदा डोट लाईन से रास्ते के अलग से नम्बर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज कर बाबत् रास्ता कायम किये जाने का आदेश फरमावें। हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया। दिनांक 30.11.15 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाई अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अमल मे लायी गई। दिनांक 15/03/2016 को अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री बंशी लाल लढ़ा व राजकुमार लढ़ा का अधिकार पत्र मय प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 के प्रस्तुत किया जिसका जवाब वकील प्राथी ने प्रस्तुत किया। बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2.17 को सुनी गई व दिनांक 07.11.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 नयायहित में स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 मौत होने से दिनांक 13.03.2018 को वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया। मृतक मांगीलाल के वारिसान कि और से जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2019 को प्रस्तुत हुआ जिसे दिनांक 03/12/2019 को रेकार्ड पर लिया गया। जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में कौन कौनसी आराजीयात स्थित है एवं किन किनके नाम पर दर्ज है एवं प्रार्थीगण की आराजीयात कौन से चाह से सिंचित होती है इसकी जानकारी हम अप्रार्थीगण को नहीं है। प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। प्रार्थीगण कभी भी हम अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 25 की उत्तरी दिशा की मेड से होकर कभी नही निकलें एवं न ही हम अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 25 पर किसी प्रकार का कोई रास्ता ही है। प्रार्थीगण ने उक्त कॉलम में हम अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 25 में रास्ता होना एवं पिछले लम्बे समय से बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लेकर निकलने वाले सारे तथ्य मनगढत अंकित किये गये है। प्रार्थीगण में हाल नक्शे में डोट डोट के निशानात को रास्ते के निशानात होना गलत माना है।

हम अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 23 में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है एवं न ही प्रार्थीगण ने कभी हमारी आराजी खसरा नम्बर 25 के किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है एवं न ही प्रार्थीगण ने कभी हमारी आराजी खसरा नम्बर 25 के किसी हिस्से को रास्ते के रू में उपयोग उपभोग ही किया। मौके पर आराजी खसरा नम्बर 25 में किसी प्रकार के रास्ते एवं गाडी गडार के कोई निशानात नहीं है। एवं न ही किसी राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता ही दर्ज है। प्रार्थीगण ने एक नाजायज गिरोह बना ताकत के बल पर हम अप्रार्थीगण के भोलेपन का नाजायज फायदा उठा जबरन हमारी खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन में से नये सिरे से रास्ते का निर्माण करना चाहते है। जब कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की जमीन पर आने जाने के लिये अलग से रास्ता आराजी खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.44 हैक्टर की दक्षिणी मेड से होकर चक बी भूपालसागर तालाब पेटा की बिलानाम जमीन आराजी नम्बर 589 में प्रवेश हो अपनी अपनी आराजीयात पर वर्षों से आ जा रहे है। जिसकी ताईद न्यायालय आपके आदेश से तहसील कार्यालय भूपालसागर द्वारा मौका पर्चा दिनांक 21/5/2018 को बनाया गया जिससे होती है। आराजी खसरा नम्बर 26 भी हम अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है जिसका उपयोग हम रास्ते के रूप में हमारी अन्य आराजीयात पर आने जाने के लिये करते है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 26 पर हम अप्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार किसी भी दृष्टि से नहीं है। एवं हमारे व्यक्तिगत उपयोग उपभोग के लिये है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुखाधिकार के आधार पर लाया गया है। इस कारण सुखाधिकार से सम्बन्धित सहायता प्रदान करने का अधिकार न्यायालय आपको न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। इस कारण प्रार्थीगण जब तक सक्षम सिविल न्यायालय में सुखाधिकार का वाद प्रस्तुत कर अपने हक में डिक्री नहीं करवा लेते तब तक किसी प्रकार की सहायता न्यायालय आपसे प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार भूपालसागर अनुसार प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच बाबत आने जाने का कोई रास्ता नहीं हैं। रास्ते हेतु आराजी नम्बर 25, 26 में से ही आते जाते हैं। मौके अनुसार आराजी नम्बर 1254 जो कि चारागाह में से होकर आगे आराजी नम्बर 589 जो कि बिलानाम है, में से होकर भी जाया जाता है, किन्तु वर्षाकाल में उक्त भूमि जो कि रास्तेनुमा है पर तालाब का पानी भर जाने से आ जा नही सकते है। मौके पर वर्तमान में भी पानी भरा हुआ है जाने की स्थिति नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण रास्ता चाहते है इस बाबत् उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, व नियमानुसार राशि का भुगतान करने बाबत तैयार है। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 का अवलोकन किया। प्राथीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ये निर्णय दिया जाता है कि आराजी नम्बर 25, 26 में से ही सुगम रास्ता आने जाने का हो सकता है जो वर्तमान में बन्द है। मौके एवं रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 25, 26 में से 4 मीटर चौडा रास्ता चाहा गया है। आ0 स0 25 रकबा 0.77 हे0 मे से 80 मीटर गुणा 4 कुल 320 व0मी0 आ0 स0 26 रकबा 0.05 मे से 8 मीटर गुणा 4 कुल 32 व0 मी0 जो कि गुड्डी बाई, मंजु बाई, सुनिता बाई, सुशिला बाई, दिनेश चन्द्र पिता मांगीलाल, गीता बाई पत्नी मांगीलाल दर्जी निवासी भूपालसागर के नाम दर्ज रेकार्ड जो कि मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 के प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में लाल स्याही के रेखाकिंत भाग को हॉल नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम हेतु अविलम्ब तरमीम करते हूए उक्त रास्ते के भू0भाग को बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने बाबत् तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है। रास्ते के लिए डी.एल.सी. अनुसार 18733.50रूपये/प्रति एयर से 65942 रूपये बनते है जिसका दुगना करने पर 131884 रूपये बनते है।

जो कि गुड्डी बाई, मंजु बाई, सुनिता बाई, सुशिला बाई, दिनेश चन्द्र पिता मांगीलाल, गीता बाई पत्नी मांगीलाल दर्जी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ को देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा

अप्रार्थीगण के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार भूपालसागर के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 15 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्त के पश्चात अर्थात 15 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त करने हेतु जरिये अवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार भूपालसागर को तहरीर जारी हो।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2020.03.02 12:36:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: